23/3/16 पत्रावली आज लोक अदालत मे
पेश हुई। पक्षकारान उप० लेकिन उप०
प्रार्थी ने ग्राम पटवारी से ख० नं०
2065/538, 2066/634, 2067/815
की भूमि को पैतृक भूमि होने
आधार पर विभाजन करने हेतु
अप्रार्थी सं० १२ को नामांकन कर
विभाजन करने के पाबन्द करने हेतु
निवेदन किया है। अपने कथन
के समर्थन के जमाबन्दी नकल
2064-67 अपनी पिता, मिसल
एक डायरी खतौनी रकबे की
पेश की है। प्रार्थी ने क० सं० 1948,
जमाबन्दी नकल 2011, 2018, 2020
की फोटो प्रति पेश की है। ~~खसरा~~
जिनसे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अर्जी
पैतृक भूमि साबित होती है।
अप्रार्थीगण की ओर से जवाब ~~पेश~~
नहीं किये जाने से जवाबदेही
बन्द की गई। अत: उपर्युक्त तथ्यों
के आधार पर दि० 19.11.14 को पारित
अन्तरिम निषेधाज्ञा रो. तायफुआ

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की ता[illegible]
	A 3/4	
	वाद कार्यवाही करते हुए ग्राम संखवास खसरा नं. 2066/634 व 2065/538, 2067/874 है तराई की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	